संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
राजभाषा विभाग, सचिवालय, दमण

सं. रा.भा. 7(10)/न.रा.का.स.- बैठक/2013-15/ 136

दिनांक : 09/09/2015

कार्यवृत्त / MINUTES

दिनांक 20/08/2015 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष माननीय विकास आयुक्त, दमण किसी अपरिहार्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण उनके आदेशानुसार सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली, दमण की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27वीं बैठक सचिवालय सभागार में आयोजित हुई । बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम
1.	श्री राजेश के. सक्सेना	उप सचिव(राजभाषा) एवं वैट उपयुक्त	वैट कार्यालय, मोटी दमण
2.	श्री के. एस. भौरिया	उप समाहर्ता	
3.	श्री एम. आर. इंगले,	कार्यपालक अभियंता (विद्युत	समहर्ता कार्यालय, दमण
4.	श्री संजय हनफोड़े	प्रबन्धक	विद्युत विभाग, नानी दमण
5.	श्री सुनील सोयल	प्रबन्धक	भारतीय स्टेट बैंक, नानी दमण
6.	डॉ एस. डी. भारद्वाज	उप निदेशक	ओरिएण्टल इन्श्योरॉन्स कंपनी
7.	डॉ. कौशिक राठोड	उप निदेशक	योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
8.	श्री किशोर बामणिया	संयुक्त सचिव (वित्त)	वेक्टर रोग नियंत्रण कार्यालय
9.	श्री मधुसूदन मण्डल	प्रबन्धक	वित्त विभाग, सचिवालय
10.	श्रीमती सीमा बावा	परियोजना निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
11.	श्री दीपक बी. पटेल	कार्यक्रम निष्पादक	जिला ग्रामीण विकास अभि.
12.	श्री मणिलाल पटेल	सहायक शिक्षा निदेशक	आकाशवाणी, नानी दमण
13.	श्री ललित बी. सोलंकी	प्राचार्य	शिक्षा निदेशालय, नानी दमण
14.	श्री धर्मेश आर. दमणिय	मामलतदार	सरकारी पोलिटेक्निक
15.	श्रीमती भारती पटेल	प्रबन्धक	मामलतदार कार्यालय
16.	श्रीमती अभिलाषा अग्रव	मत्स्य उद्योग अधीक्षक	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
17.	श्री सी. एम. बंगाल	सांख्यिकीय अधिकारी	मत्स्योद्योग कार्यालय
18.	श्री के. एस. गायकवाड़	ऑचलिक कृषि अधिकारी	समाज कल्याण विभाग
19.	श्री पी. पी. परमार	वास्तु योजनाकार	कृषि विभाग, मोटी दमण
20.	श्री नितीन रा. माकुड़े	रेंज वन अधिकारी	वास्तु योजना कार्यालय
21.	श्री एस.एस.ठक्कर	खण्ड विकास अधिकारी	वन विभाग, मोटी दमण
22.	डॉ. एम. बी. सापरा	पशुचिकित्सा अधिकारी	खण्ड विकास कार्यालय
23.	श्री मनोज आर. कामलि	लेखा उप निदेशक	पशु चिकित्सा कार्यालय
24.	श्री इकबाल बे. धड़ा	जॉच अधिकारी	लेखा निदेशालय, दमण
25.	श्री जे. पी. सोलंकी	प्राचार्य	शहरी सर्वेक्षण कार्यालय
			तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

26.	श्री किरण भाटिया	मुख्य निरीक्षक	श्रम एवं रोजगार कार्यालय
27.	श्री नियाज फाद्रा	क्रीड़ा अधिकारी	क्रीड़ा विभाग, दमण
28.	श्री गुलाब पटेल	सहायक नियंत्रक	माप एवं तौल विभाग
29.	श्री बी.डी. पटेल	पोस्ट मास्टर	मुख्य डाकघर दमण
30.	श्री हेमन्त एन. राजपुत	आबकारी निरीक्षक	आबकारी कार्यालय
31.	श्री रतिलाल बी. पटेल	सहायक	लोक निर्माण विभाग
32.	श्री प्रकाश बी. राठोड	सहायक	जिला उद्योग केन्द्र, दमण
33.	श्री सोमा एच. पटेल	प्रधान लिपिक	नगर पालिका कार्यालय
34.	श्री प्रवीण पी. राठोड़	सहायक	सरकारी चिकित्सालय, नानी दमण
35.	श्री बाबूभाई एच. पटेल	अधीक्षक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदे.

अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्य अधिकारियों के स्वागत के बाद बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा हुई एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

मद सं.-2. **<u>राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) के शत-प्रतिशत अनुपालन के बारे में</u>** ।

सभी सदस्य अधिकारियों सहित अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा-3(3) के अनुसार जिन कागजातों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में अर्थात् द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अपेक्षित है, उन्हें शत-प्रतिशत अनिवार्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में ही जारी किया जाना चाहिए । चर्चा के दौरान सभी सदस्य अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत आनेवाले सभी कागजातों के बारे में जानकारी दी गई, जैसे :

1.	सामान्य आदेश/General Orders
2.	परिपत्र /Circular
3.	ज्ञापन /Memorandum
4.	संकल्प / Resolution
5	अधिसूचना / Notification
6.	सूचना / Notice
7.	नियम / Rules
8.	करार / Agreement

9.	विनियम / Regulations.
10.	संविदा / Contract
11.	प्रेस विज्ञप्ति / Press communiqué
12.	अनुज्ञापत्र / License
13.	निविदा / Tender
14.	निविदा प्रपत्र /Tender Form
15	संसदीय रिपोर्ट/Parliamentary Report
16.	संसदीय प्रश्न/Parliamentary Question

लिया गया निर्णय : इस विषय पर विस्तार से चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजभाष अधिनियम का अनुपालन करना कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते सभी सदस्य अधिकारियों का कर्तव्य है । उन्होंने विशेष रूप से समाहर्तालय (45) लेखा निदेशालय (64) तहसीलदार कार्यालय (90) परिवहन कार्यालय (106) नगरपालिका कार्यालय (108) सरकारी चिकित्सालय (30) को राजभाषा अधिनियम के शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए निर्देश दिये एवं कहा कि समय के अभाव में अगर किन्हीं कागजातों को एक साथ द्विभाषी में जारी नहीं किया जा सकता है, तो अंग्रेजी प्रति का राजभाषा विभाग से हिन्दी अनुवाद कराते हुए 03 दिनों के भीतर पुनः हिन्दी प्रति जारी की जाएगी ।

यह देखा गया है कि राजभाषा विभाग द्वारा जिन कांगजातों को हिन्दी में अनुवाद किया जाता है, सरकारी राजपत्र में उनका प्रकाशन नहीं किया जाता है । इसे संसदीय राजभाषा समिति गंभीरता से लेती है । अतः जिन कागजातों का हिन्दी अनुवाद राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता हैं, उन्हें भी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय । **(कार्रवाई : सभी कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी सरकारी मुद्रणालय)**

मद सं.-3. "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में 90 % पत्राचार किये जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना :

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि संघ सरकार द्वारा जारी किये गए वार्षिक कार्यक्रम,2015-16 के अनुसार दमण एवं दीव 'ख' क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस संघ प्रदेश से हिन्दी में मूल रूप से 90% पत्राचार किया जाना अपेक्षित है । पिछले अर्धवर्ष के दौरान बहुत सारे कार्यालयों द्वारा हिन्दी में किये जाने वाले 90% के पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु कुछ कार्यालयों द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, जैसे - समाहर्तालय (75%), अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि. (59%), कार्यपालक अभियंता, लो.नि.वि. (58%), वन विभाग (58%), तहसीलदार कार्यालय (शून्य), आबकारी विभाग (20%), समाज कल्याण कार्यालय(75%), परिवहन कार्यालय(74%), पर्यटन विभाग(63%), वैट विभाग(76%) शहरी सर्वेक्षण कार्यालय(53%), श्रम एवं रोजगार कार्यालय (55%),जिला उद्योग केंद्र(42%), वैक्टर रोग नियंत्रण कार्यालय (79%), पशु-चिकित्सा कार्यालय (59%), बाल विकास परियोजना कार्यालय (40%), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय (80%), माप-तौल कार्यालय(77%), पत्तन कार्यालय(73%), तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (80%), राजकीय महाविद्यालय(30%), सरकारी पोलिटेक्निक(27%), शिक्षा निदेशालय(62%), ग्रामीण विकास अभिकरण (45%),दमण नगरपालिका कार्यालय (46%) ।

उपर्युक्त कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे अगले तीन महीनों के दौरान हिन्दी में किये जानेवाले 90% के पत्राचार के लक्ष्य को अवश्य पूरा कर लें एवं लक्ष्य पूरा करने के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर राजभाषा विभाग से संपर्क करते हुए कठिनाइयों को सुलझायें ।

इसके साथ केन्द्रीय सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों के तट रक्षक कार्यालय (54%), आयकर कार्यालय, यूको बैंक, ओरिएण्टल इन्श्यूरॉन्स कंपनी को भी पत्राचार के 90% लक्ष्य को पूरा करने के भरपूर प्रयास करने के लिए निर्देश दिया गया । लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिनाई होने पर वे अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करेंगे ।

(कार्रवाई : सभी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं.-4. **हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिये जाने के बारे में :**

सभी सदस्य अधिकारियों एवं अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राजभाषा नियम-5 के अनुसार दूसरे कार्यालयों से हिन्दी में प्राप्त किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में न देकर केवल हिन्दी में ही दिया जाना अपेक्षित है । परंतु कुछ कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा रहा है, जैसे- विद्युत विभाग (17-8), पर्यटन विभाग (34-10), श्रम एवं रोजगार कार्यालय (53-53), वैक्टर रोग नियंत्रण कार्यालय (90-23), बाल विकास परियोजना (34-10), राजकीय महाविद्यालय (26-19), सरकारी पोलिटेक्निक (22-14), बाल भवन (10 - 10),

भारतीय स्टेट बैंक, मोटी दमण (20-10), भारतीय स्टेट बैंक, नानी दमण (12-6) ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब अंग्रेजी में देते हुए राजभाषा नियम का उल्लंघन किया है । अध्यक्ष महोदय ने उपर्युक्त सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कार्यालय के अध्यक्ष होने के नाते इस प्रकार संवैधानिक नियमों का उल्लंघन न करते हुए इसका शत-प्रतिशत अनुपालन करने के प्रति विशेष ध्यान दें ।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने उपर्युक्त कार्यालयों को अधिक ध्यान देते हुए इस नियम के उल्लंघन से बचने के लिए हिदायत दी ।

(कार्रवाई : सभी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं.-5. <u>फाइलों पर हिन्दी में 50% टिप्पणियाँ लिखे जाने के बारे में ।</u>

अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यालयों में हिन्दी में 50% टिप्पणियाँ लिखी जानी चाहिए, जबकि कुछ कार्यालयों द्वारा पिछले तिमाह के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है । जैसे- वित्त विभाग (18%), कार्मिक विभाग (12%), विधि विभाग (19%), समाहर्ता कार्यालय (41%), वन विभाग (44%), तहसीलदार कार्यालय (शून्य), परिवहन विभाग (40%), पर्यटन विभाग (44%), वैट विभाग (43%), जिला उद्योग केंद्र (37%) बाल विकास परियोजना कार्यालय (10%), पत्तन कार्यालय (38), सरकारी पोलिटेक्निक (41%), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (01%), सरकारी चिकित्सालय मरवड (38%), दमण नगरपालिका परिषद (21%), तट रक्षक कार्यालय (27%) कार्यालयों में हिन्दी में 50% से कम टिप्पणी लिखते हुए टिप्पणी लिखने के प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है । अध्यक्ष महोदय ने इन सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालय की नियमित टिप्पणियों को राजभाषा विभाग से अनुवाद करवा लें एवं कार्यालय अध्यक्ष अपने स्तर पर प्रयास करते हुए हिन्दी में टिप्पणी लिखने के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें ।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय नें उपर्युक्त कार्यालयों को हिन्दी में टिप्पणी लिखने की प्रतिशतता को बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया एवं अपेक्षित होने पर राजभाषा विभाग से मदद लेने की सिफारिश की ।

(कार्रवाई : सभी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं.-6. <u>प्रशासन के राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस के आयोजन के बारे में</u> ।

लिया गया निर्णय : सभी सदस्य अधिकारियों के साथ चर्चा विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि इस वर्ष दिनांक 28/08/2015 से दिनांक 11/09/2015 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया जायेगा, जिस दौरान 1. हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता 2. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता 3. कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण प्रतियोगिता 4. हिन्दी श्रुत लेखन प्रतियोगिता 5. हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता 6. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा । जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों ने पिछले दो वर्षों से सफल विजेता घोषित किये गए हैं, उन्हें इस वर्ष सभी प्रतियोगियों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी बल्कि उनके लिए अलग से एक

विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा एवं उन सफल प्रतियोगियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किये जायेंगे ।

दिनांक 14/09/2015 (सोमवार) को हिन्दी दिवस का आयोजन किया जायेगा एवं इस अवसर पर सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किये जायेंगे ।

(कार्रवाई : सभी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष)

मद सं.-7. **<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से राजभाषा हिन्दी में कार्य करते समय होनेवाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा व उनका समाधान</u>** ।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न मदों पर चर्चा किये जाने के बाद बैठक में उपस्थित सदस्य अधिकारियों से राजभाषा हिन्दी में काम करते समय होने वाली कठिनाइयों के बारे में सुझाव आमंत्रित किये गये एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(i) हाल ही में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में सभी सदस्यों को सूचित किया गया कि उनके कार्यालयों द्वारा विज्ञापन के लिए किये जाने वाले खर्चों में से 50% राशि हिन्दी में विज्ञापन के लिए खर्च किया जाना अपेक्षित है एवं शेष 50% राशि अंग्रेजी एवं अन्य भाषा में विज्ञापन के लिए खर्च किया जाना अपेक्षित है ।

(ii) तिमाह समाप्ति के 10 दिनों के भीतर सभी कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग में भेजे जाने के बारे में सुनिश्चित करेंगे ।

(iii) कार्यालय के सभी फाइलों एवं रजिस्टरों पर द्विभाषी में विवरण लिखे जाने हेतु अगली बैठक में अवश्य सुनिश्चित करेंगे । **(कार्रवाई : सभी कार्यालय अध्यक्ष / राजभाषा विभाग)**

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्य अधिकारियों को बताया कि वे राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन को उतना ही महत्व देना चाहिए, जितना महत्व कार्यालय के दूसरे कार्यों को देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया ।

इसे डायरी संख्या <u>7010</u>, दिनांक <u>09/09/2015</u> के अनुसार माननीय विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, (नराकास), दमण के अनुमोदन पर जारी किया जाता है ।

9/9/2015

(अंतर्यामी परिड़ा)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दमण

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं सदस्य,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण ।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. प्रशासक महोदय की मुख्य स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण ।
2. विकास आयुक्त की निजी सहायक, सचिवालय, दमण ।
3. वित्त सचिव की निजी सहायक, सचिवालय, दमण ।
4. सचिव (राजभाषा) की निजी सहायक, सचिवालय, दमण ।
5. समाहर्ता की वैयिक्तक सहायक, समाहर्तालय, दमण ।
6. उप-निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम),केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या-601,सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 ।
7. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु अनुरोध सहित ।
8. कार्यालय प्रति ।